"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक - 521] रायपुर, शनिवार, दिनांक 16 नवम्बर 2013—कार्तिक 25, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10 –53/2013/वाक/पांच (72).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-115/2007/वाक/पांच (38) दिनांक 22-08-2007 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाने तथा अन्वेषण करने के लिये निम्नानुसार समिति का गठन करती है :-

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर - अध्यक्ष

(ii) आयुक्त, वाणिज्यिक कर - सदस्य

2. यह अधिसूचना दिनांक 29-09-2012 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्रमांक एफ -10 –53/2013/वाक/पांच (72).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10 –53/2013/वाक/पांच (72), दिनांक 06-11-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th November 2013

NOTIFICATION

No. F-10-53/2013/CT/V (72). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) and in Supersession of this department's notification No. F-10/115/2007/CT/ V(38) dated 22-08-2007, the State Government, hereby constitutes a committee as under for detection and investigation of evasion of tax :-

(i) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Commercial Tax - Chairman

(ii) Commissioner, Commercial Tax - Member

2. This notification shall come into force with effect from 29-09-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.